उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,
संख्या-11/1946/92-2014-03(जांच)/2012,
लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद-कानपुर नगर में मा0 कांशीराम जी शहरी मलिन बस्ती समग्र विकास योजना से सम्बन्धित निविदाओं एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना से सम्बन्धित अनुबन्धों के गठन में अनियमित प्रक्रिया किये जाने, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पहले ही निविदा खोलने, वित्तीय हस्त पुस्तिका के पैरा-316, 317 व 318 का उल्लंघन करने, अपने पद एवं दायित्वों के अनुसार दर विश्लेषण एवं रोड मेटल रेट (आर0एम0आर0) स्वीकृत न करने, अनुबन्धित बिडिंग डाक्यूमेंट के आई0टी0बी0 के प्रस्तर-16 के अनुरूप बिड सिक्योरिटी/जमानती धनराशि तथा प्रस्तर-32 के अनुसार परफारमेन्स सिक्योरिटी सक्षम अधिकारी के नाम से बन्धक न कराने, आई0टी0बी0 के प्रस्तर-25 के अनुसार बिड सिक्योरिटी एवं परफारमेन्स सिक्योरिटी का सत्यापन न कराने, ठेकेदार के साथ दुरभिसन्धि करके राजस्व ग्राम सचेंडी, मदारा राय गुमान, ग्राम सभा सपई के मजरा बाबीपुरवा एवं राजस्व ग्राम आगापुर, ग्राम सभा रायगुमान के मजरा दिलीपपुर, ग्राम सभा सपई के राजस्व ग्राम कीरतपुर तथा धर्मपुर, ग्राम सभा बाराखेड़ा के मजरा चम्पतपुर जनपद-कानपुर के कार्य में फर्जी पासबुकों के आधार पर अनुबन्ध गठित किये जाने, जिसमें कुल रू0- 26,31,000-00 की शासकीय क्षति अर्न्तनिहित है, के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4031/92-2012-03(जांच)/2012, दिनांक 08 नवम्बर, 2012 द्वारा श्री जयराम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को निलम्बित कर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की अनुशासनिक जांच हेतु वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- अपचारी कार्मिक श्री जयराम के विरूद्व प्रचलित प्रश्नगत अनुशासनिक जांच की प्रक्रिया के अन्तर्गत श्री जयराम द्वारा अपना लिखित बचाव उत्तर दिनांक 12-2-2013 जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में प्राप्त अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर व साक्ष्यों एवं अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में जांचोपरान्त अपनी जांच आख्या दिनांक 04-3-2013 शासन को उपलब्ध करायी गयी । प्राप्त जांच आख्या में श्री जयराम पर अधिरोपित

http://shasanadesh.up.nic.in

कुल 09 आरोपों में से आरोप संख्या-4, 5 एवं 6 उन पर पूर्ण रूप से सिद्व पाये जाने तथा आरोप संख्या-7, 8 एवं 9 उन पर अंशत: सिद्व पाये जाने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-4-2013 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या की प्रति श्री जयराम को प्रेषित करते हुए उनका अभिकथन/अभ्यावेदन मांगा गया, जिसके क्रम में श्री जयराम द्वारा अपने पत्र दिनांक 14-5-2013 द्वारा अपना अभिकथन/अभ्यावेदन शासन को उपलब्ध कराया गया। प्रकरण में निविदा प्रक्रिया में कारित अनियमितता एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं की अर्न्तग्रस्तता होने के आलोक में जांच अधिकारी की जांच आख्या तथा अपचारी कार्मिक श्री जयराम से प्राप्त अभिकथन/अभ्यावेदन की प्रतियां शासन के पत्र दिनांक 08-08-2013 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ (विभागाध्यक्ष) को प्रेषित करते हुए उनसे इस प्रकरण में अभिमत मांगा गया, जिसके क्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 23-8-2013 के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में अपना अभिमत शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या, श्री जयराम से प्राप्त अभ्यावेदन, निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त अभिमत एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त अपचारी कार्मिक श्री जयराम पर स्थापित आरोपों के अनुसार उन्हें दोषी पाया गया। उक्त स्थिति में दोषी पाये जाने के कारण प्रकरण में निहित शासकीय क्षति रू0-14,56,000-00 (रूपये- चौदह लाख छप्पन हजार मात्र) की श्री जयराम से नियमानुसार वसूली किये जाने, श्री जयराम को अधीक्षण अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर अवनति **(Reduction)** किये जाने तथा उनके विरूद्व ''परिनिन्दा" का दण्ड अधिरोपित किये जाने का अनन्तिम विनिश्चय करते हुए शासन के पत्र संख्या-3031/92-13-03(जांच)/2012, दिनांक 16 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकरण लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद की सहमति हेतु सन्दर्भित किया गया तथा पुन: पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2014 एवं 02 अप्रैल, 2014 द्वारा सहमति उपलब्ध कराने हेतु मा0 आयोग को अनुस्मरण कराया गया।

4- प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि श्री जयराम, अधीक्षण अभियन्ता (निलम्बित) द्वारा अपने विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या-23144/2013, जयराम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को 04 सप्ताह के अन्दर अन्तिम रूप दिये जाने के आदेश दिनांक 17-2-2014 को पारित करते हुए रिट याचिका निस्तारित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-2-

http://shasanadesh.up.nic.in

2014 का अनुपालन निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित न हो पाने के कारण श्री जयराम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अवमानना याचिका संख्या-2090/2014, जयराम बनाम श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 28-3-2014 को पारित आदेश का प्रभावकारी अंश निम्नवत है :-

''Issue notice to opposite party. The opposite party need not appear at this stage.
The counter affidavit may be filed within the aforesaid period or else charges may be framed after summoning the notice.
However, one more opportunity is granted to the opposite party to comply with the order within a month."
Order Date :- 28-3-2014

5- प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा श्री जयराम के विरूद्व अनन्तिम रूप से विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या-283/5/ए0डी0सी0/एस-12/13-14, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 द्वारा अपनी सहमति शासन को उपलब्ध करायी गयी। सूच्य है कि मा0 आयोग का उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2014 शासन में दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को प्राप्त हुआ। मा0 आयोग द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में तथा अन्य सुसंगत समस्त अभिलेखों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री जयराम का निलम्बन समाप्त कर उन्हें सेवा में बहाल करने तथा उनके विरूद्व शासनादेश संख्या-4031/92-2012-03(जांच)/2012, दिनांक 08 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाये जाने के कारण उन्हें निम्नवत दण्ड प्रदान करते हुए प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) शासकीय क्षति रू0- 14,56,000-00 (रूपये-चौदह लाख छप्पन हजार) की श्री जयराम से नियमानुसार वसूली किया जाय;

(2) श्री जयराम को अधीक्षण अभियन्ता के पद से अधिशासी अभियन्ता के पद पर अवनति (Reduction) किया जाय; तथा

(3) श्री जयराम को परिनिन्दा (Censure) का दण्ड दिया जाय। उक्त परिनिन्दा वर्ष 2014-15 के लिये मानी जायेगी।

6- पूर्वोक्त प्रस्तर-5 में अंकित सम्पूर्ण स्थिति तथा प्रदत्त दण्डादेश के परिणामस्वरूप श्री जयराम, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, को अवनति के पद

http://shasanadesh.up.nic.in

(अधिशासी अभियन्ता) पर कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्व किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/1946(1)/92-2014-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- अनु सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-283/5/ए0डी0सी0/एस-12/13-14, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 के क्रम में मा0 आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित।

5- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- गार्ड फाइल/चरित्र पंजिका में रखने हेतु।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in